संख्या 21034/66/2009-रा0भा0 (प्रशि0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 04 अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक / अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर नियुक्त **सर्वकार्यभारी अधिकारियों** को देय मानदेय की दरों का संशोधन ।

****

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 01 जुलाई, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या:- 21034/21/2003-रा.भा.(प्रशि.)/2439 में आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को, केंद्र सरकार के उन अधिकारियों, जिन्हें अपनी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त हिंदी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन अर्थात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों की देख-रेख एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु सर्वकार्यभारी अधिकारी के रूप में अवैतनिक तौर पर नियुक्त किया गया है, को देय मानदेय की दरों में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की संस्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है। सर्वकार्यभारी अधिकारियों को देय मानदेय की संशोधित दरें निम्न प्रकार होंगी:-

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 01.07.2003 को जारी आदेश के तहत स्वीकृत मानदेय	संशोधित विवरण	संशोधित स्वीकृत मानदेय
1	सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में ऐसे पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां 1 से 5 तक नियमित हिंदी प्राध्यापक/ सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/आशु0) तैनात हैं|	260/- प्रतिमाह	ऐसे सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में ऐसे पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां 1 से 5 तक नियमित हिंदी प्राध्यापक/ सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/आशु0) तैनात हैं ।	520/- प्रतिमाह
2	सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में ऐसे पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां 6 से 19 तक नियमित हिंदी प्राध्यापक/ सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/आशु0) तैनात हैं|	375/- प्रतिमाह	ऐसे सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में ऐसे पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां 6 से 19 तक नियमित हिंदी प्राध्यापक/ सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/आशु0) तैनात हैं ।	750/- प्रतिमाह

3	ऐसे सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में हिंदी शिक्षण योजना के ऐसे अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां 10 या इससे अधिक प्रशिक्षार्थी हैं।	130/- प्रतिमाह	ऐसे सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में हिंदी शिक्षण योजना के ऐसे अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र जहां पर हिंदी शिक्षण योजना का कोई नियमित हिंदी प्राध्यापक तैनात नहीं है तथा प्रशिक्षण अंशकालिक हिंदी प्राध्यापक द्वारा दिया जाता है और जहां 15 या इससे अधिक प्रशिक्षार्थी नामांकित हैं।	260/- प्रतिमाह

2. इस संबंध में अन्य शर्तें वही लागू होंगी जो शर्तें इस विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित हैं ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी सं. 65243/JS(Fin./Pers)||/2011 दिनांक 15.12.2011 के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन से जारी किया गया है ।

4. मानदेय की ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी ।

(सूरज भान)
उप सचिव (प्रशि.)

सेवा में

1. सभी महालेखाकार ।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1, हटमैंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली.
3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
4. हिंदी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी ।
5. सभी उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी डायरी संख्या-65243/JS(Fin./Pers)||/2011 दिनांक 15.12.2011 के संदर्भ में ।
7. गार्ड फाईल ।

D:\ P&C-fresh\training sec.doc